International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume XIII, Issue IV, July– August 2026 **Available online at: www.ijaur.com**
Impact Factor- 5.999

मध्य प्रदेश के राजस्व में लोहा इस्पात व्यवसाय पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

महेंद्र कुमार चौकसे[1] , डॉ पवन कुशवाहा[2]

1. सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शहीद भगतसिह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया
2. सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य, रविन्द्र नाथ टैगोर वि.वि.,रायसेन, मध्य प्रदेश

सारांश *–:* भारत विश्व में लोहा और इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जिसका एकमात्र कारण देश में स्थानीय स्तर पर कोयला और लौह अयस्क जैसे कच्चे मालों की उपलब्धता और श्रम की कम लागत ने इस क्षेत्र में सकल विश्व में भारत के प्रभुत्व को कायम रखा हुआ है। निर्माण उद्योग की प्राथमिक आवश्यकता लोहा और इस्पात है। आमतौर पर संयंत्र और उसके पुर्जों के निर्माण में भी इन कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है। लोहा इस्पात व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और यह सरकार के लिए राजस्व का बड़ा भाग प्रदान करता है। वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की कर दरों में बदलाव किए हैं। है। इस कर प्रणाली ने कर के ऊपर कर लगाने को खत्म किया है । यह कर की मौजूदा प्रणाली को बदलकर वस्तु और सेवाओं के आवागमन को आसान करेगा, जिससे भारत में आर्थिक विकास को जरूरी गति मिलेगी, इसलिए जीएसटी लागू होने से लोहा इस्पात व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना एवं इस व्यवसाय से मध्यप्रदेश के राजस्व में होने वाले परिवर्तनों को जानना महत्वपूर्ण है, अस्तु, यह शोध पत्र इस महत्तवपूर्ण घटक को प्रकाशित करने का एक प्रयास है।

मुख्य"ाब्द–: लोहा इस्पात, जीएसटी, राजस्व, अप्रत्यक्षकर।

परिचयः–

लोहा इस्पात निर्माण क्षेत्र में एक बुनियादी कच्चा माल है, इसे न केवल घर का निर्माण करने बल्कि घर में उपयोग किये जाने वाली जरूरी सामग्री के तौर पर माना जाता है। लोहा इस्पात आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन इनपुट है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सीमेंट और सरिया व्यापार के सबसे बड़े उत्पादक केंद्र हैं। इन जिलों में राज्य के लगभग 60–70 प्रतिशत निर्माण सामग्री का व्यापार होता है। स्टेनलेस स्टील भी लोहे (स्टील) के व्यवसाय का ही हिस्सा होता है। स्टेनलेस स्टील का मुख्य तत्व लोहा ही होता है। इसमें क्रोमियम, निकेल और अन्य धातुएँ मिलाई जाती हैं ताकि इसके उत्पादों में जंग न लगे, इसलिए इसे स्टील उद्योग और लोहे के व्यापार की श्रेणी में रखा गया है। स्टेनलेस स्टील भी लोहेध्स्टील व्यवसाय का भाग होने के कारण इसके व्यापारी भी स्टील व्यापारियों में ही गिने जाते हैं। स्टेनलेस स्टील का उपयोग किचन के बर्तन, पाइप तथा टैंक, बिल्डिंग रेलिंग मशीन और औद्योगिक उपकरण आदि बनाने में बहुतायत होता है।

लोहे और इस्पात पर कराधान सम्बन्धी प्रावधान

जीएसटी से पूर्व अप्रत्यक्ष कर लोहे और इस्पात के निर्माण पर उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत की दर से लगाया जाता था और वैट दर 5 प्रतिशत था, जिससे कुल लगाया जाने वाला कर लगभग 17.5 प्रतिशत आरोपित किया जाता रहा था। अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में, वैट के अलावा सी–फॉर्म होने पर 2 प्रतिशत एवं अन्यथा 5 प्रतिशत केंद्रीय विक्रय कर एवं 2 प्रवेश कर प्रतिशत लगाया जाता था। इस प्रकार कुल 21.5 प्रतिशत कर लगाया जाता था, जबकि लोहे और स्टील पर सामान्यतः कुल 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

लोहे और स्टील से बने उत्पादों पर विभिन्न जी.एस.टी दरें

- बर्तन, गणितीय या ज्यामितीय बक्से, घरेलू लोहे या स्टील के उत्पाद, स्टोव, केरोसिन बर्नर, सिलाई सुई आदि पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
- रेलवे ट्रैक, ट्यूब और पाइप, जलाशय टैंक, डिब्बे, पुल, छत, गेट, खंभे, कांटेदार तार, कंटेनर, बुनाई सुई आदि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लोहा और स्टील पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।
- सेंट्रल हीटिंग के लिए रेडिएटर, रेंज, ग्रेट्स, बारबेक्यू, गैस रिंग, प्लेट वार्मर, ब्रेजियर, सैनिटरी वेयर और अन्य गैर इलेक्ट्रिक उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

साहित्य समीक्षा–:

गर्ग शुभम, प्रियंका, कुमार संजीव एवं नरवाल करम पाल (2023) ने भारतीय राज्यों की राजस्व उत्पादकता पर जीएसटी के प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की राजस्व उत्पादकता तथा कर संग्रह क्षमता में सुधार हुआ। बेहतर अनुपालन और स्व–नियमन आधारित व्यवस्था के कारण सिद्ध हुई। हालॉकि, जीएसटी का प्रभाव सभी राज्यों पर समान रूप से नहीं देखा गया। आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ, जबकि अपेक्षाकृत कमजोर राज्यों में राजस्व असमानता बढ़ने की संभावना बनी रही। अध्ययन में सुझाव दिया गया कि केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्यों की आय, आर्थिक विकास तथा कर प्रशासन को भी सुदृढ़ बनाना आवश्यक है, ताकि सभी राज्यों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो सके।

खन्ना रूपा (2022) द्वारा किए गए अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटीके प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। शोध में यह बताया गया कि कराधान किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है तथा सरकारी तंत्र के संचालन में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। अध्ययन में जीएसटी लागू होने के बाद के चार वर्षों में हुए आर्थिक परिवर्तनों का विस्तृत अवलोकन किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि जीएसटी लागू होने के पश्चात अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। शोध के अनुसार, जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कर संरचना को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सतीजा नैना द्वारा अपने शोध पत्र में बताया कि 2021 में राज्यों के राजस्व में जीएसटी के महत्व से इंकार नही किया जा सकता है। करों के व्यापक प्रभाव को दूर करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी बाजार की ओर भारत शुरुआती रूप से आगे बढ़ रहा है। जीएसटी से संबंधित संरचना प्रशासन और संस्थानों की रूपरेखा निर्मित करने में आने वाली चुनौतियां तथा राजस्व की तटस्थ दरों के विकल्प के बारे में चर्चा की है। साथ ही यह बताया है कि यह शोध पत्र परिणाम सरकार को राजस्व सृजन के लिए प्रभावी नीति निर्माण की दिशा में भविष्य की कार्यवाही को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।

सुनील सैनी 2019 द्वारा किए गए अध्ययन में भारत के लोहा एवं इस्पात उद्योग के उत्पादन तथा विदेशी व्यापार की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि भारत में इस्पात उद्योग की वृद्धि दर चीन की तुलना में अधिक तेज रही,जिसके परिणामस्वरूप देश के सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। शोध में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा तथा कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2017द्18के दौरान भारत ने 103मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया,साथ ही 83 मिलियन टन तैयार इस्पात एवं 9.6 मिलियन टन कच्चे लोहे का उत्पादन किया गया। अध्ययन में इस्पात को आधारभूत संरचना विकास एवं आर्थिक प्रगति का प्रमुख प्रतीक माना गया तथा उद्योग के विकास,विस्तार और नियोजन में इस्पात मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया।

शोध के उद्देश्य–:

यह शोध मध्यप्रदेश में लोहा इस्पात व्यवसाय पर जीएसटी के कारण पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करने का एक प्रयास है।

- मध्यप्रदेश के लोहा इस्पात व्यवसाय का अध्ययन।
- लोहा इस्पात व्यवसायपर जीएसटी के प्रभाव का अध्ययन करना।
- लोहा इस्पात व्यवसाय पर जीएसटी लागू होने से मध्यप्रदेश के राजस्व पर प्रभाव का विश्लेषण।

मध्य प्रदेश में स्टील (सरिया) रोलिंग मिल और उत्पादन

मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से रोलिंग मिलों के माध्यम से लोहेध्स्टील उद्योग क्रियान्वित किया जाता है। इन मिलों में स्टील बिलेट को गर्म करके सरिया (टी.एम.टी.) एंगल, चौनल स्टील बार, और अन्य स्टील उत्पाद आदि बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 180 से 220 स्टील रोलिंग मिलें होने का अनुमान है। ये मिलें छोटे और मध्यम उद्योगों के रूप में कार्य करती हैं। ये उद्योग मुख्य रूप से सरिया का निर्माण करते हैं।

तालिका–1:

प्रदेश में क्षेत्रवार कार्यरत् स्टील (सरिया) रोलिंग मिल संबंधी जानकारी

इंदौर	सबसे बड़ा स्टील व्यापार और रोलिंग मिल क्षेत्र
भोपाल	इंजीनियरिंग और स्टील उद्योग
जबलपुर	मशीनरी और स्टील इकाइयाँ
ग्वालियर	स्टील प्रोसेसिंग और निर्माण इकाइयाँ
देवास	औद्योगिक क्षेत्र में कई स्टील यूनिट

तालिका–2:

मध्यप्रदेश में जी.एस.टी. लागू होने से पूर्व लोहा व्यवसायियों की संख्या

वर्ष	कुल लोहा /इस्पात व्यवसायी
2011–12	8575
2012–13	9230
2013–14	10200
2014–15	10850
2015–16	11600
2016–17	12100

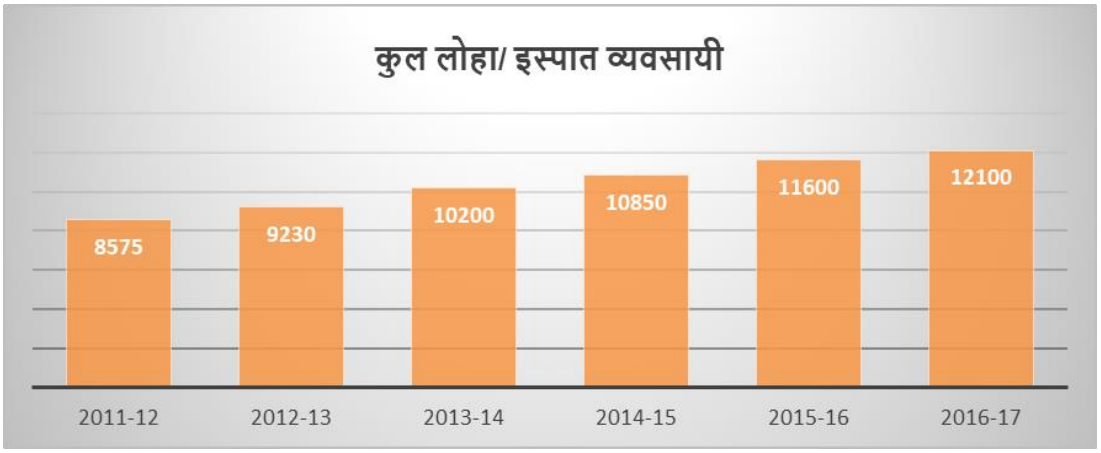

तालिका–3:

मध्यप्रदेश में जी.एस.टी. लागू होने के बाद लोहा/ इस्पात व्यवसायियों की संख्या (अनुमानित)

वर्ष	लोहा/इस्पात व्यवसायियों की (अनुमानित) संख्या
2017–2018	12658
2018–2019	15718
2019–2020	17038
2020–2021	17923
2021–2022	19456
2022–2023	20963

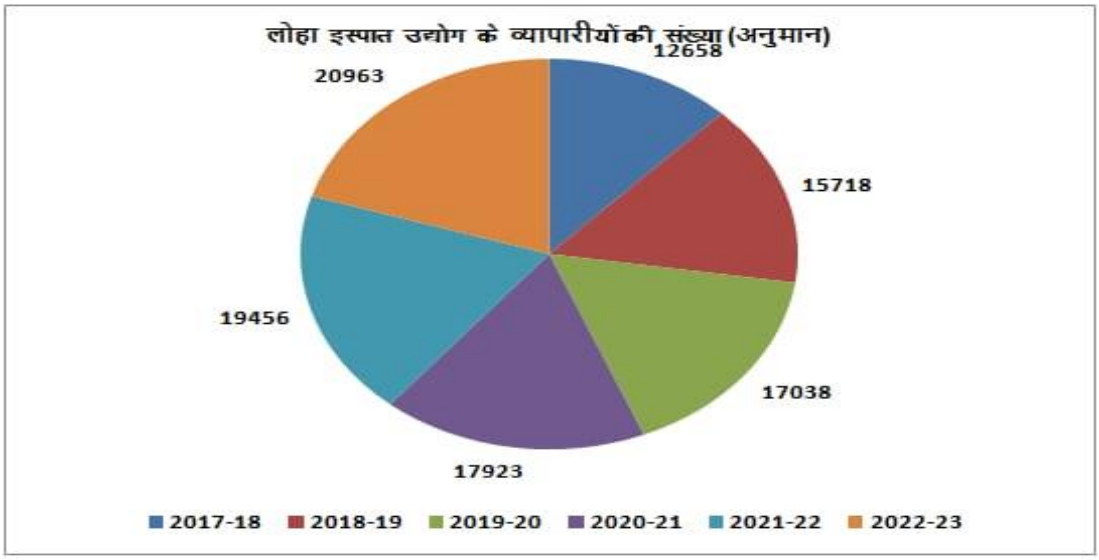

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2012–13 में लोहा इस्पात व्यवसायियों कुल संख्या की तुलना में वर्ष 12–13 और क्रमशः 17–18 तक व्यवसाईयों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2017– 18 के बाद जबकि जीएसटी लागू हुआ है, व्यवसायी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। जिसका अर्थ यह है कि जीएसटी लगने के बाद लोहाध इस्पात का व्यवसाय बड़ा है एवं पंजीयन में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

तालिका–4:

मध्यप्रदेश में जीएसटी लागू होने से पूर्व लोहा इस्पात उद्योग से प्राप्त अप्रत्यक्ष कर राजस्व

वर्ष	वैट	सी एस टी	प्रवेश कर	कुल राजस्व लाख रु में
2012–13	24378	2027.1	6747.4	33152
2013–14	23918	1850	5772.4	31540
2014–15	24535	2266.4	5881	32683
2015–16	25343	2188.7	7084.3	34616
2016–17	28153	1976.5	5960.9	36090

मध्य प्रदेश में जीएसटी लागू होने के पहले लोहा इस्पात पर अप्रत्यक्ष कर के रूप में तीन प्रकार के कर लगाये जाते थे, जो 5 % वेट, 2 % केंद्रीय विक्रय कर एवं 2 % प्रवेश कर लगाया जाता था। उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है, कि 2012–13 की तुलना में 2013–14 में 1612 /– लाख रुपए की राजस्व कमी हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की 2013–14 तुलना में 2014–15 में 1143/– लाख रुपए वृद्धि वर्ष 15–16 में 1933/– लाख रुपए वृद्धि एवं 16–17 में भी 1474/– लाख रुपए क्रमशः वृद्धि हुई है।

E-ISSN No: 2395-0269
Available online at: www.ijaur.com

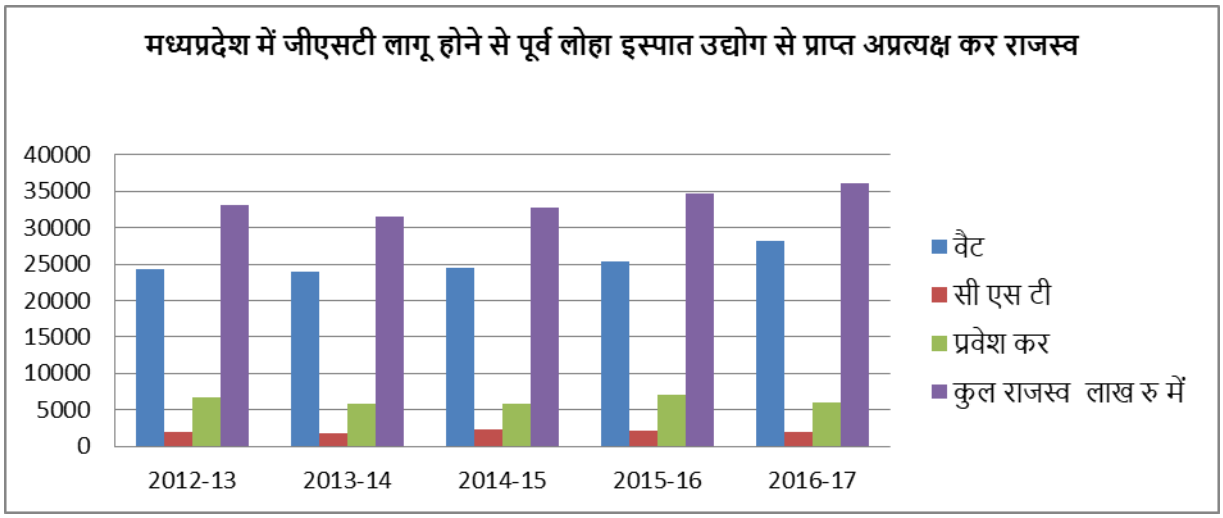

तालिका–5:
मध्यप्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग से प्राप्त जीएसटी राजस्व

वर्ष	जीएसटी राजस्व (लाख रूपए में)
2017–18	37896
2018–19	69773
2019–20	68902
2020–21	86805
2021–22	91504
2022–23	111591

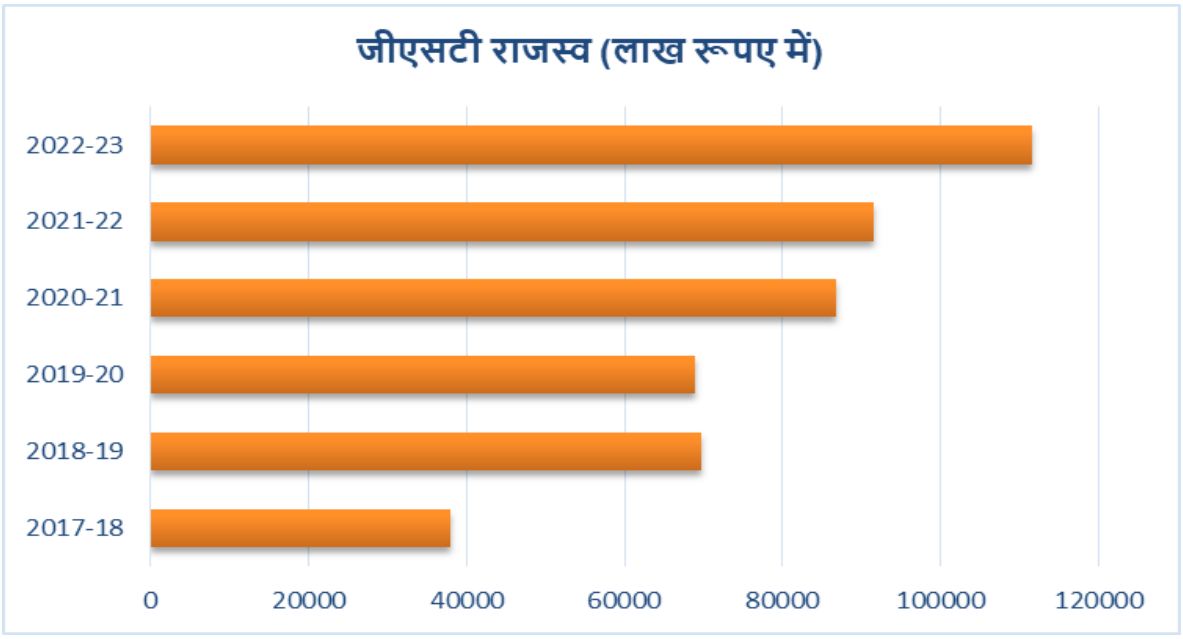

जीएसटी लागू होने के पश्चात 2017–18 से मध्यप्रदेश में लोहा इस्पात के राजस्व के आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में 31877/– लाख रुपए की अप्रत्याशित राजस्व वृद्धि दर्ज की गई है इसी प्रकार अन्य वर्षो में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में 871/– लाख रुपए कमी प्रदर्शित हो रही है जिसका कारण कोरोना (कोविड़–19) होने के कारण से राजस्व में कमी आई है। वर्ष 20–21में राजस्व में 17903ध्– लाख रुपएसे वृद्धि इसके बाद2021–22 एवं 2022–23 के वर्षों में क्रमशः 4699/– लाख रुपए एवं 20087/– लाख रुपए वृद्धि हुई है।

मध्य प्रदेश में लोहा इस्पात से मिलने वाला जीएसटी राजस्व अलग–अलग साल में सरकार अलग से सार्वजनिक नहीं करती, लेकिन उद्योग के अनुमान और टैक्स हिस्सेदारी के आधार पर इसका लगभग योगदान बताया जाता है। अनुमान है कि लोहा इस्पात जैसे उद्योग 18ः स्लैब के कुल राजस्व का लगभग 4–5 % योगदान देते हैं। जीएसटी दर भारत में लोहा इस्पात पर अधिकतम दर 18 % है, इसलिए यह सरकार के लिए बड़ा टैक्स स्रोत है।

निष्कर्ष–:

उपरोक्त दी गई सारणीयों एवं विश्लेषाणत्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात लोहा इस्पात व्यवसाय से मध्यप्रदेश राजस्व में वृद्धि हुई है परंतु पूर्व में मध्यप्रदेश में अप्रत्यक्ष कर के रूप में 9 % कर (निर्माण पर उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत को छोड़कर) लगाया जाता था जबकि लोहा इस्पात व्यवसाय पर जीएसटी की अधिकतम दर 18ः है, जो कि पुरानी अप्रत्यक्ष करों से लगभग दुगनी है अतः यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, कि मध्यप्रदेश राजस्व में वृद्धि जीएसटी लागू होने से हुई या बढ़ी हुई दर का परिणाम है, क्योंकि जीएसटी पूर्व की तुलना में की कर दर 9 % अधिक है अतःयह वृद्धि उस कारण से भी हुई मानी जा सकती है। 18 प्रतिशत जीएसटी वाली वस्तुओं की तुलना में 12 प्रतिशत जीएसटी वाली वस्तुएँ सस्ती होने की संभावनाएं अधिक होती है। जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दर में वृद्धि करके विपरीत प्रभाव डालती है। जैसे–जैसे समय बीतता जाएगा, स्टील उद्योग परिवहन शुल्क और साथ ही कार्यशील पूंजी में वृद्धि करना शुरू कर सकते हैं। जो एक बुद्धिमानी भरा विकल्प है, क्योंकि लंबे समय में यह विकल्प बहुत फायदेमंद हो सकता है। वर्तमान समय में लोहे/स्टील की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए यह उद्योग अतिमहत्वपूर्ण हो सकता है। मध्य प्रदेश में लोहा (स्टील) सरिया का बहुत बड़ा बाजार है। निर्माण कार्य घर, सड़क, पुल (बिल्डिंग) के कारण हर साल इनकी खपत में काफी वृद्धि को देखा जा रहा है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में लोहा इस्पात के व्यवसाय एवं डीलरों में भी वृद्धि हुई है जो की वास्तविक है जिससे यह स्पष्ट होता है कि, मध्यप्रदेश में लोहा इस्पात व्यापार बढ़ा है। लोहा इस्पात की उत्पादकता के साथ–साथ मांग में वृद्धि होने से डीलर संख्या में वृद्धि हुई है साथ ही साथ यह स्पष्ट है कि जीएसटी लागू होने से कार्य प्रणाली से लाभ हुआ है एवं व्यावसायियों द्वारा अपना पंजीयन इस अधिनियम के अंतर्गत कराया गया है।

अंत में यही निष्कर्ष निकाला निकाला जा सकता है कि, लोहा इस्पात मध्यप्रदेश की राजस्व का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है एवं जीएसटी लागू होने से इसके राजस्व में वृद्धि देखी गयी है।

सन्दर्भ सूची–:

1. Hasija, N.(2019) Importance of gst in state revenue: a qualitative studyInternational journal for research in applied science & engineering technology (ijraset);*Volume 7 issue vi, june 2019* retrieved from *www.ijraset.com*
2. Jaiswal. S. A Study of GST Implementation at Bhilai Steel Plant International Journal of Advanced in Management, Technology and Engineering Sciences Volume 8, Issue III, MARCH/2018 , retrieved from *https://ijamtes.org/*
3. श्रीमती गीता डोंगरे,जीएसटी का भारतीय व्यापार पर प्रभाव, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) retrieved from www.jetir.org e658August 2024, Volume 11, Issue 8
4. राठौर,जियालाल मेहरा मनीष कुमार **"भारत में वस्तु एवं सेवाकर का प्रभाव एवं चुनौतिया" International Journal of Social Research and Development Volume 7, Issue 2,** retrieved from **www.socialsciencejournal.net**
5. Kumar,R.Khanna,R. 2022 Analysis of gst impact on indian economy after 5 years of it's Implementation

Rabindra Bharati journal of philosophy Vol. : xxiii, no:13, 2022

6. Rajeshwar Tiwari ,Ved Prakash Jaiswal (2022) Comparative Study of Pre and Post GST Era and Its Impact on Different Sectors of The EconomyRNI No. UPBIL/2016/67980 VOL.-VII, ISSUE- II May -2022 retrieved from www.socialresearchfoundation.com
7. Shubham Garg, Priyanka, Karam Pal Narwa,SanjeevKumar.(2023) Implications of Goods and Service tax on Revenue Productivity of Indian States: A Panel Data Analysis.Pacific Business Review (International Volume 15 Issue 9 March 2023 retrieved from www.pbr.co.in
8. Sunil Saini (2019): Performance of Iron and Steel Industries in India. *International Journal of Geology, Agriculture and Environmental Sciences*, Vol. 7, Issue 2, July–December 2019. retrieved from www.woarjournals.org/IJGAES
9. लकड़ा, नि" ा 2022 जीएसटी की अवधारणा एवंभारतीय समाज में इसका आर्थिक प्रभाव–तथ्यों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययनय A Review of Resea Rch vol. - 11 | Issue - 10 | July– 2022